राजस्व v/s श्रीम. हरभन वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/1/21	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने से वादी व प्रतिवादी वकील ने पुनः बहस हेतु समय चाहा। पत्रावलि सायन्दा दिनांक 22-1-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज०	
22.1.21	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावलि वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र सायन्दा दिनांक 09.2.21 को प्रस्तुत हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज०	
09.2.2021	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रार्थी ने प्रमुख रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वादी के वाद पत्र में जो रिलीफ चाही गई है वह विद्वान न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण काबिल खारिज है। वादी द्वारा प्रार्थीया की आराजी को जो कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है को फर्जी शपथपत्र के आधार पर कलमजन कराना चाहा गया है, जो विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज फरमाया जावे एवं खर्चा 2000 रुपया वादी से प्रतिवादी को दिलाया जावे। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने मुख्य रूप से कथन किया कि जिस दस्तावेज के आधार पर वादीगण दावा लाये है वह फर्जी है जिसके आधार पर उनके हितों पर कुठाराघात नहीं हो सकता। दावा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए आदेश 07 नियम 11 के [illegible] होने के काबिल खारिज है। दौरान बहस अधिवक्ता [illegible] किया कि मेरा दावा सन् [illegible] आज तक प्रार्थी ने मेरे दस्तावेज के फर्जी होने को [illegible] चेलेंज नहीं किया है। प्रार्थी ने आज दिनांक तक जवाब पेश नहीं किया है न दस्तावेज को कोर्ट में चेलेंज किया है। धारा-9 सिविल प्रक्रिया संहिता व राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.02.23 10:13:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

[illegible] 18 [illegible] दुरमन सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मेरा दावा खातेदारी अधिकारों से संबंधित है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 लागू नहीं होता है अत: मय खर्चा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

पत्रावली में वादपत्र का पुन: अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वाद पत्र मुख्यत: एक शपथ पत्र के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार का नाम कलमजन कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के संबंध में है। हमने प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादी द्वारा एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध एक शपथ पत्र के आधार पर दावा लाया जाकर प्रतिवादी का नाम कलमजन कर वादी को खातेदारी अधिकार चाहा गया है। यह स्पष्ट है कि मात्र एक शपथ पत्र जो कि कोई पंजीबद्ध दस्तावेज भी नहीं है, के आधार पर राजस्व न्यायालय किसी रिकॉर्डेड खातेदार का नाम कलमजन कर इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। इस प्रकार विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाता है, परिणामत: वादी का वाद पत्र नामंजूर किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.2.24 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड [illegible]
[illegible] (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.02.23 10:13:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner